आवश्यक

संख्या:24/2020/1615/12-2-2020-एफ.42/2001

प्रेषक,

डा0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 11 अगस्त, 2020

विषय: खरीफ, 2020 (माह अप्रैल, 2020 से 31 जुलाई, 2020) तक यूरिया उर्वरक के टॉप 20 बायर्स की जांच/सत्यापन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 18-08/2020-एफ0एम0 दिनांक 05 अगस्त, 2020 (छाया प्रति संलग्न) तथा संयुक्त सचिव, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 18-08/2020-एफ0एम0 दिनांक 10 अगस्त, 2020 (छाया प्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा खरीफ, 2020 में (दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से दिनांक 31 जुलाई, 2020 तक) प्रत्येक जनपद में टॉप-20 यूरिया उर्वरक के क्रेता के सत्यापन के सम्बन्ध में दिनांक 20 अगस्त, 2020 तक निर्धारित प्रारूप पर सूचनायें भारत सरकार के संगत डैश बोर्ड पर अपलोड कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के उपर्युक्त पत्र दिनांक 05 अगस्त, 2020 एवं 10 अगस्त, 2020 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए जनपद में स्थित यूरिया उर्वरक के टॉप-20 बायर्स की जांच/सत्यापन रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप पर भारत सरकार के डैश बोर्ड पर दिनांक 20 अगस्त, 2020 तक अनिवार्य रूप से अपलोड कराया जाना सुनिश्चित कराते हुए उसकी प्रति कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:24/2020/1615(1)/12-2-2020 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संयुक्त सचिव, रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग, नई दिल्ली को उनके अर्द्धशासकीय पत्र संख्या: 18-08/2020-एफएम दिनांक 10 अगस्त, 2020 के संदर्भ में।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. समस्त जिला कृषि अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
विद्या शंकर सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।